नम्बर व तारीख अहकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के प्रतिनिधि मूळ दि० 6 12/16	[illegible] लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि एवं वकील [illegible] उपस्थित हैं। पत्रावली दि० 12-5-17 को [illegible] लोक अदालत कैम्प महूकलां पर पेश हो। (हस्ताक्षर) 12-5-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प महूकलां पर पेश हुई। लैण्ड होल्डर उप० हैं। [illegible] व इनके अभिभावक अनुपस्थित हैं। लैण्ड होल्डर को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उप जिला कलेक्टर** **गंगापुर सिटी**	
मूल नामा० संलग्न है		

[illegible] न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

प्रकरण नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2016	9.3.2016	12-5-2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

कस्तूरी पत्नि गोल्याराम, मीना नि0 जाखोदा तहसील सपोटरा ——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 430 दि0 20.7.2012 ग्राम सालोदा

उपस्थित :– लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम सालोदा की जमाबंदी सं0 2068–71 के खाता सं0 24 में ख0नं0 467 रकबा 1.17 है0 में [illegible] लाल पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बापोती तहसील सपोटरा हि0 195/11700, फतेहसिंह, रायसिंह पि0 रामफूल, रामप्यारी बेवा रामफूल हि0ब0हि0 3149/11700, श्रीफूल पि0 भैरो हि0 4032/11700 जाति गूजर सा0देह, लक्ष्मीदेवी पत्नि रामदयाल हि0 111/11700 जाति मीना नि0 [illegible] तह0 करौली, रामनाथलाल पुत्र मिश्रया हि0 223/11700 जाति मीना नि0 खिरखिडी तह0 सपोटरा जिला करौली, मोतीलाल पुत्र गेन्दीलाल हि0 111/11700 जाति मीना नि0 बामनवास, विजयसिंह पुत्र भूदर हि0 111/11700 जाति मीना नि0 खिरखिडी तह0 सपोटरा, विमलादेवी पत्नि बाबूलाल हि0 167/11700 जाति बैरवा नि0 कैमला तह0 नादौती, रूमाली देवी पत्नि देवीसिंह हि0 1757/11700 जाति गूजर सा0 सालोदा, बिहारीलाल पुत्र ऊंकारया हि0 98/11700 जाति बैरवा नि0 डिकोलीखुर्द तह0 सपोटरा, [illegible] पत्नि भवानीसिंह हि0 223/11700 जाति मीना नि0 अम्बेडकर नगर गंगापुर सिटी, रूमाली देवी पत्नि तेजराम हि0 174/11700 जाति मीना नि0 बाढरामसर तह0 गंगापुरसिटी, राजन्ती देवी पत्नि रामखिलाडी हि0 167/11700 जाति मीना नि0 बाढरामसर तह0 गंगापुर सिटी, फोरन्ती देवी पत्नि पप्पूलाल हि0 108/11700 जाति मीना नि0 बाढरामसर तह0 गंगापुर सिटी, शिमला पत्नि बाबूलाल हि0 223/11700 जाति मीना नि0 डिकोली कला तह0 सपोटरा, विद्यादेवी धर्मपत्नि मुनीराज हि0 108/11700 जाति मीना नि0 सेवा तह0 गंगापुर सिटी, धौरादेवी पत्नि रामगिलास हि0 100/11700 जाति मीना नि0 पाटोर शास्त्री तह0 व जिला करौली, गीता धर्मपत्नि बाबूलाल हि0 100/11700 जाति मीना नि0 पाटोर शास्त्री तह0 व

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला करौली, काडीदेवी पत्नि रामकेश हि0 219/11700 जाति मीना नि0 [illegible] तह0 व जिला करौली, रामेश्वरी धर्मपत्नि राधेश्याम हि0 108/11700 जाति मीना नि0 खेडा तह0 सपोटरा, मोहनीदेवी पत्नि कमलेश हि0 108/11700 नि0 गागुरदा तह0 व जिला करौली, रोशनदेवी पत्नि [illegible] हि0 108/11700 जाति मीना नि0 गागुरदा तह0 व जिला करौली खातेदार है। ग्राम सालोदा के नामा0सं0 430 दि0 20.7.12 से ख0नं0 467 रकबा 1.17 है0 में से खातेदार फतेहसिंह, रायसिंह पि0 रामफूल, रामप्यारी बेवा रामफूल हि0ब0हि0 3149/11700 जाति गूजर सा0 देह ने जरिए रजि0 विक्रय पत्र साबूती पत्नि गोल्याराम जाति मीना नि0 जाखोदा तह0 सपोटरा को हि0 216/11700 तथा 108/11700 विक्रय किया है। खातेदार फतेहसिंह रायसिंह पि0 रामफूल, रामप्यारी बेवा रामफूल हि0ब0हि0 3149/11700 जाति गूजर सा0 देह ने जरिए रजि0 विक्रय पत्र सं0 1670 दि0 6.10.2009 तथा रजि0 विक्रय पत्र सं0 1671 दि0 6.10.09 से ग्राम सालोदा के ख0नं0 467 रकबा 1.17 है0 में रेस्पो0 साबूती पत्नि गोल्याराम जाति मीना नि0 जाखोदा तह0 सपोटरा को हि0 216/11700 तथा 108/11700 हिस्सा का बेचान किया है जो भूखण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां द्वारा उक्त बेचान का नामान्तरकरण सं0 430 दि0 20.7.2012 दर्ज किया है। भू-अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट में लिखा है कि नामान्तरकरण भूखण्ड का है व राज्य सरकार की भूखण्ड के नामान्तरकरण पर रोक है। उसके उपरांत नामान्तरकरण निर्णित हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप 2) विभाग क्रमांक एफ 3/63/राज/ग्रुप/2009 दि0 28.4.11 एवं परिपत्र दि0 25.10.10 से भूखण्ड के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। रोक होने के बाबजूद भी पटवारी हलका द्वारा उक्त भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है। नामान्तरकरण सं0 430 दि0 20.7.12 निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू-अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 2.12.2015 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर हुई। इसके बाद कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण से सम्बन्धित नकलें तैयार कराई जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा के नामान्तरकरण सं0 430 दिनांक 20.7.2012 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर

[illegible] सिटी

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 430 दि0 20.7.12 ग्राम सालोदा, फोटोकोपी रिपोर्ट आई0एल0आर0 दि0 2.12.15, नकल जमाबंदी सं0 2068–71, सं0 2072–76, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक [illegible], फोटोकोपी परिपत्र दिनांक 28.4.11 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.4.2011 के अनुसार भूखण्ड के नामान्तरकरण खोले पर रोक होने के बाद भी पटवारी हलका ने अपीलाधीन नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करवाया है जो नियम विरूद्ध है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सही तरीके से खोला गया है अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण कृषि भूमि का नहीं होकर भूखण्ड का है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.4.2011 के अनुसार भूखण्डों के नामान्तरकरण किए जाने पर प्रतिबन्ध है। अपीलाधीन नामान्तरकरण इस परिपत्र के विरूद्ध खोला गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 20.7.2012 ग्राम सालोदा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12-5-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी